संशोधन

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
रायबरेली, सुल्तानपुर एवं
छत्रपति साहूजी महाराजनगर।

संख्याः–1/शा0/14/2011–1/16/2011 ,लखनऊ : दिनॉक 20 अप्रैल, 2011

विषयः–केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में अनुदान–14 के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन की धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1158/33–3–2011–100(11)/2011 ,दिनॉक 15–04–2011 के अन्तर्गत अनुदान सं0–14 में चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए विशेष प्रोत्साहन हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 2500.00 लाख में से धनराशि ₹ 625.00 लाख (₹ छः करोड़ पचीस लाख मात्र) जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि को जिला पंचायत राज अधिकारियों के निस्तारण पर निदेशालय के आदेश सं0–1/शा0/8/2011–1/16/2011, दिनांक 15–04–2011 को आवंटित की गई थी जिसे शासनादेश संख्या–1158(1)/33–3–2011–100(11)/2011 ,दिनॉक 20–04–2011 में उल्लिखित जनपदों के सम्मुख अंकित धनराशि में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :–

(धनराशि लाख रूपये में)

पूर्व की स्थिति			संशोधित स्थिति		
जनपद का नाम	आवंटित धनराशि	कोषागार का प्रगामी योग	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि	कोषागार का प्रगामी योग
रायबरेली	8.56	8.56	रायबरेली	5.29	5.29
सुल्तानपुर	7.31	7.31	सुल्तानपुर	5.29	5.29
छत्रपति साहूजी महराजनगर	0	0	छत्रपति साहूजी महराजनगर	5.29	5.29
योगः	15.87		योगः	15.87	

(रूपया पन्द्रह लाख सत्तासी हजार मात्र)

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप सं0–बी0–1–901/दस–2011–231/11, दिनॉक 21–03–2011 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/ जनपदवार आवंटित केंद्राश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा।

3– उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन(एलाटमेंन्ट)मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र

D:\Devendra Pal\Budget 11-12\Allot. 14 83 81\14 vishesh protsahan TSC PLAN 20-04-2011.doc

सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो ,उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशो में दिये गये दिशा निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएं परीक्षण/सत्यापन हेतु निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

5– उक्त धनराशि का व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा।

6– **जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।**

7– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–101–पंचायती राज–08–ग्रामीण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय का निर्माण (विशेष प्रोत्साहन) –27– सब्सिडी" के नामें डाला जायगा।

8– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है । अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त वित्त संशाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–सीए– 934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रुप से पालन किया जायेगा।

9– किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगतरूप से जिम्मेदार होगें। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण की तिथि, वाउचर संख्या आहरित धनराशि की सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10– आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नही की जाएगी।

11– धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जायगा।

12– उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्यवन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा।

1– कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक।
2– प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 30–9–2011 तक
3– व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15–1–2012 तक
4– वर्ष 2011–12 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 5–2–2012 तक

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–3 पर अंकित है।

भवदीय,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायतीराज,उ0प्र0।

संख्याः–1/शा0/14/1/2011, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा आडिट (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
3– प्रमुख सचिव पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
4– विशेष सचिव वित्त ((व्यय–नियंत्रण) अनु0–3/वित्त बजट अनु0–2 उ0प्र0 शासन।

D:\Devenra Pal\Budget 11-12\Allot. 14 83 81\14 vishesh protshahan TSC PLAN 20-04-2011.doc

5— विशेष सचिव पंचायती राज अनुभाग—3 उ0प्र0 शासन।
6— संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7— संबंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8— संबंधित अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
9— संबंधित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0।
10— उपनिदेशक (पं0) (प्रथम) पचायती राज, निदेशालय, उ0प्र0।
11— तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज,उ0प्र0।

D:\Devenra Pal\Budget 11-12\Allot. 14 83 81\14 vishesh protshahan TSC PLAN 20-04-2011.doc